revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

[F. No. 02-01/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

### अधिसूचना

## नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 716 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग—3 पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध भंडार सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में भंडार सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भंडार सहायक, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2013 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंम (2) से स्तंम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुझेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

| पद का<br>नाम   | पद संख्या   | वर्गीकरण   | वेतन बैंड और<br>ग्रेड<br>वेतन / वेतनमान                  | चयन पद है<br>अथवा<br>अचयन पद | सीधे भर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के लिए<br>आयु—सीमा | सीधे भर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के<br>लिए अपेक्षित<br>शैक्षिक और<br>अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के<br>लिए विहित<br>आयु और<br>शैक्षित अर्हताएं<br>प्रोन्नत व्यक्तियों<br>की दशा में<br>लागू होंगी या<br>नहीं। | परिवीक्षा<br>की अवधि<br>यदि कोई<br>हो। |
|----------------|---|--|--|------------------------------|--|---|--|--|
| 1              | 2   | 3  | 4  | 5                            | 6  | 7   | 8  | 9                                      |
| भंडार<br>सहायक | 01'(2013) 'कार्यभार के<br>आधार पर<br>परिवर्तन किया<br>जा सकता<br>है'। | साधारण<br>केन्द्रीय सेवा,<br>समूह 'ग'<br>(अराजपत्रित)<br>अनुसचिवीय | वेतन बैंड- 1:<br>5200-20200रु.<br>+ग्रेंड वेतन<br>2400रु | अचयन                         | लागू नहीं होता   | लागू नहीं होता  | लागू नहीं<br>होता  | लागू नही<br>होता                       |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या<br>प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली<br>रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे<br>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा।  |
|---|--|
| 10  | 11   |
| प्रोन्नति द्वारा  | प्रोन्नित : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + गेड<br>वेतन 1900 रु की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है।   |
|   | टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।   |
|   | टिप्पण—2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के लिए प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया<br>जाएगा। |
|---|---|
| 12  | 13  |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः  | लागू नहीं होता ।  |
| (i) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, — अध्यक्ष; कोलकाता   |   |
| <ul><li>(ii) कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,— सदस्य; कोलकाता</li><li>(iii) कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण,— सदस्य; कोलकाता</li></ul> |   |

[फा. सं. 02-12/2012-सी.एस.जैड.]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

#### **NOTIFICATION**

#### New Delhi, the 31st October, 2013

- G.S.R. 716 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963, insofar as they relate to the post of Stores Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stores Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Stores Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| Name of post      | Number of post  | Classification  | Pay band and grade pay or pay scale                                  | Whether selection post or non-selection post |
|-------------------|---|---|--|--|
| 1                 | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Stores Assistant. | 01* (2012) *Subject to variation dependent on workload. | General Central<br>Service, Group 'C',<br>Non-Gazetted,<br>Ministerial. | Pay band-1:<br>Rs. 5200-20200<br>plus <i>grade</i> pay-<br>Rs. 2400. | Non-selection                                |
|                   |   |   |  |  |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 6                             | 7   | 8   | 9                           | 10   |
| Not applicable                | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable              | By promotion   |

| In case of recruitment by promotion/<br>deputation/ absorption, grades from which<br>promotion or deputation/ absorption to be<br>made.   | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.   | Circumstances in which Union Public<br>Service Commission is to be<br>consulted in making recruitment. |
|---|--|--|
| 11  | 12   | 13   |
| Promotion: Lower Division Clerk in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 with eight years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata — Chairman;  2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata — Member;  3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata — Member. | Not applicable   |

[F. No. 02-12/2012-CSZ]

JEROME MINZ, Dy. Secy.